विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) रैगिंग निषेध अधिनियम – 2009

निम्न कार्य रैगिंग के अन्तर्गत हैं :–

1. किसी छात्र अथवा छात्रों द्वारा नए आनेवाले छात्र का मौखिक शब्दों अथवा लिखित वाणी द्वारा उत्पीड़न अथवा दुर्व्यवहार करना।
2. अनुशासनहीनता का वातावरण बनाना जिससे नए छात्र को कष्ट, आक्रोश, कठिनाई, शारीरिक अथवा मानसिक पीड़ा हो।
3. किसी छात्र से ऐसे कार्य को करने के लिये कहना जिससे छात्र में लज्जा, पीड़ा अथवा भय की भावना उत्पन्न हो।
4. कोई ऐसा कार्य जो शैक्षिक कार्य में बाधा पहुँचाए।
5. नये अथवा किसी अन्य छात्र दूसरों को दिये गये शैक्षिक कार्य को करने हेतु बाध्य कर शोषण करना।
6. छात्र का किसी भी प्रकार से आर्थिक शोषण करना।
7. शारीरिक शोषण का कोई भी कार्य / किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट जिससे व्यक्ति अथवा उसके स्वास्थ्य को हानि पहुँचे।
8. मौखिक शब्दों द्वारा किसी को गाली देना ई-मेल, डाक पब्लिक कॉल किसी को अपमानित करना मनमानी पैदा करना जिससे छात्र को घबराहट हो।
9. कोई कार्य जिससे छात्र के मन मस्तिष्क अथवा आत्मविश्वास पर दुष्प्रभाव पड़े। किसी छात्र को कुमार्ग पर ले जाना तथा उस पर किसी प्रकार की प्रभुता दिखाना।

प्राचार्य

नोट :– रैगिंग सम्बन्धी किसी भी घटना की सूचना महाविद्यालय रैगिंग निषेध समिति के प्रभारी एवं सदस्यों को लिखित रूप में दिये जाने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

रैगिंग की घटनाओं पर प्रशासनिक कार्यवाही :–

1. किसी छात्र को रैगिंग का दोषी पाए जाने पर संस्था द्वारा निम्नलिखित विधि अनुसार दण्ड दिया जायेगा।
2. छात्रवृत्ति / छात्र अध्येतावृत्ति तथा अन्य लाभों को रोकना / वंचित करना।
3. किसी टैस्ट / परीक्षा अथवा अन्य मूल्यांकन प्रक्रिया में उपस्थित होने से वंचित करना।
4. परीक्षा फल रोकना।
5. किसी प्रादेशिक, राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मीट, खेल, युवा महोत्सव आदि में संस्था का प्रतिनिधित्व करने से वंचित करना।
6. छात्रावास से निष्कासित करना।
7. प्रवेश रद्द करना।
8. संस्था से 04 सत्रों तक के लिए निष्कासन करना।
9. अर्थ दण्ड।
10. पुलिस कार्यवाही।

प्रभारी
रैगिंग विरोधी समिति